दिनांक 26–10–2012 को श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समति की बैठक की कार्यवाही :–

1– उपस्थिति – पंजी के अनुसार

कार्यावली बिंदु संख्या–2

विगत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा।

2– माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष की अनुमति से सर्वप्रथम सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग ने राज्य सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सूचित किया कि आज की बैठक की कार्यावली एवं दिनांक–10.04.12 की अंतिम बैठक की कार्यवाही तथा अनुपालन प्रतिवेदन सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दिया गया है। किसी भी सदस्यों द्वारा कार्यवाही में संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। अतः सर्वसम्मति से दिनांक–10.04.12 की बैठक की कार्यवाही सम्पुष्ट की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक–10.04.2012 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन प्रतिवेदन की कंडिकावार समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये/निर्णय लिये गये :–

2– (क) पुलिस महानिदेशक के स्तर पर **Conviction Rate** में सुधार एवं लंबित मामलों **(pending cases)** में कमी के लिए बनाई गई कार्य योजना की समीक्षाः–

दिनांक–17.09.2011 को सम्पन्न बैठक में इस अधिनियम के तहत् दर्ज वादों में दोषसिद्धि के कम दर एवं बड़ी संख्या में लंबित मामलों की स्थिति को देखते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया गया था कि जिस तरह शस्त्र अधिनियम के मामलों में योजनाबद्व तरीके से speedy trail कराये जा रहे हैं और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कार्य योजना बनाकर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, उसी तरह इस

अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में भी दोषियों को सजा दिलाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर जिला स्तर पर लागु की जाय तथा सभी पुलिस अधीक्षकों को वैज्ञानिक तरीके से वादों का अनुश्रवण एवं अनुसंधान करने एवं ससमय गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाय। लेकिन अभी भी राज्य में दोषसिद्धि दर राष्ट्रीय स्तर से कम होने एवं बड़ी संख्या में दर्ज काण्डों के लंबित रहने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा पुलिस महानिदेशक को पुनः निदेश दिया कि इस हेतु प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाय और उसे औपचारीक रूप से सभी पुलिस अधीक्षक/अनुसंधान कर्त्ता/थाना प्रभारी इत्यादि को संसूचित करते हुए दोषसिद्धि के दर में वृद्धि लाने एवं लंबित वादों की संख्या में कमी लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया जाय।

(अनुपालनः– पुलिस महानिदेशक)

लंबित काण्डों की संख्या में कमी लाने के संबंध में प्रभारी सचिव –सह–विधि परामर्शी, विधि विभाग द्वारा बताया गया कि जिलों में चिन्हित विशेष न्यायालयों में IPC/CrPC के तहत दर्ज वादों का भी विचारण होता है। अतः इस अधिनियम के तहत् दर्ज वादों के निष्पादन हेतु पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। अतः माननीय उच्च न्यायालय से Exclusive Special Court की स्थापना का अनुरोध किया जा सकता है। निर्णय लिया गया कि वैसे जिला जहाँ पर बड़ी संख्या में इस अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज काण्ड लंबित है, में Exclusive Special Court की स्थापना के लिए माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाय।

(अनुपालनः– विधि विभाग)

2– (ख) नव सृजित "अनु0 जाति/अनु0 जनजाति विशेष थाना" में आधारभूत संरचना एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा।

"अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विशेष थाना" को आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के संबंध में की गयी कार्रवाई की समीक्षा के क्रम में दिनांक–10.4.12 के बैठक में निदेश दिया गया था कि विशेष थानों को वाहन, आरक्षी पदाधिकारी/बल, भवन एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराकर पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाया जाय। जमीन

उपलब्ध होने में कठिनाई होने पर इस तरह के थाने किराये के मकान में खोलने पर विचार किया जा सकता है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक (क0व0) ने बताया की इन थाना में पदस्थापित थाना प्रभारियों के नाम एवं मोबाईल नम्बर प्राप्त है, लेकिन अन्य सुविधाओं के संबंध में सूचना अप्राप्त है।

अतः निदेश दिया गया कि विशेष थानों को उपलब्ध कराये गये पुलिस पदाधिकारी, वाहन, आरक्षी बल, थाना भवन एवं अन्य संसाधन से संबंधित प्रतिवेदन अगली बैठक में उपलब्ध कराया जाय। विशेष थानों को क्रियाशील करने के संबंध में समीक्षा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक से पृच्छा की क्या इन थानों के लिए नया वाहन खरीदा गया या नहीं? इस पर पुलिस महानिदेशक द्वारा बताया गया कि नये वाहन अभी तक नहीं खरीदे गये है। किन्तु इसकी व्यवस्था की जा रही है।

**(अनुपालन :– गृह (विशेष) विभाग/पुलिस मुख्यालय)**

**2– (ग) अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निरंतर अनुश्रवण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा गठित विशेष कोषांग के कार्यो की समीक्षा।**

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सूचित किया कि विशेष कोषांग का गठन किया गया है। लेकिन दखल कब्जा दिलाने के संबंध में की गयी कार्रवाई से संबंधित अंचलवार, माहवार प्रतिवेदन कुछ ही जिलों से प्राप्त है।

अनुपालन की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि जिन जिलों से इस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहा है, उन जिलों के जिला पदाधिकारियों से कारण पृच्छा की जाय, साथ ही मुख्य सचिव द्वारा आयोजित विडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से इस मुद्दों की संबंधित जिला पदाधिकारी से समीक्षा की जाय।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निदेश दिया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा गृह विभाग इस संबंध में की गयी कार्रवाई से संबंधित राज्यस्तर पर समेकित प्रतिवेदन की समीक्षा कर फला–फल से अगली बैठक में अवगत करावें।

**(अनुपालनः– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/गृह विभाग एवं सभी जिला पदाधिकारी)**

पुलिस महानिदेशक (क0व0) द्वारा बताया गया कि भूमि विवाद के संबंध में किशनगंज जिला में 4 और सुपौल जिला में 01 मामला दर्ज किया गया है। अन्य जिलों से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि जिलावार कांडों की समीक्षा करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराई जाए।

**(अनुपालनः– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/गृह विभाग/पुलिस मुख्यालय)**

**कार्यावली बिन्दु संख्या :–3**

**3– नोडल पदाधिकारी (प्रधान सचिव गृह विभाग) द्वारा नियम–9 के अन्तर्गत नियम–4(2), नियम–4(4), नियम–6 एवं नियम–8(XI) के अधीन किये गये कार्यो की समीक्षाः–**

सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि नियम–9 के आलोक में प्रधान सचिव, गृह विभाग, इस अधिनियम के तहत् नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित है। उनके द्वारा प्रत्येक तिमाही के अन्त में निम्नलिखित का पुर्नवलोकन किया जाना है।

(i) नियम–4 के उपनियम (2) और उपनियम (4) नियम–6, नियम–8 के खण्ड (ix) के अधीन राज्य सरकार को प्राप्त रिपोर्ट,

(ii) अधिनियम के अधीन दर्ज मामलों की स्थिति,

(iii) परिलक्षित क्षेत्र में विधि व्यवस्था की स्थिति,..... इत्यादि।

इस संबंध में प्रधान सचिव, गृह विभाग ने बताया कि पूर्व में नियम–9 के आलोक में पुर्नवलोकन की कार्रवाई नहीं की जा रही थी लेकिन वे शीघ्र इस संबंध में समीक्षा कर अगली बैठक में प्रतिवेदन समर्पित करेंगें।

**(अनुपालनः– गृह (विशेष) विभाग)**

समीक्षा के क्रम में अध्यक्ष महोदय ने जानना चाहा कि क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में इस अधिनियम को कारगर ढ़ंग से लागु करने एवं इससे संबंधित प्रतिवेदनों को समेकित करने, समीक्षा करने, विभागीय प्रतिवेदन तैयार

करने अन्य सूचनाओं को संकलित करने इत्यादि के लिए विशेष कोषांग का गठन किया गया है या नहीं? विभागीय सचिव ने बताया कि विभाग के स्तर पर इस तरह का विशेष कोषांग गठित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि विभाग के स्तर पर विशेष कोषांग का गठन किया जाय। इसके लिए आवश्यक पदाधिकारी/कर्मचारी/विशेषज्ञ इत्यादि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

**(अनुपालनः– अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग)**

**कार्यावली बिन्दु संख्या :–4**

**4– नियम–4 के तहत महानिदेशक अभियोजन के द्वारा विशेष लोक अभियोजकों की कार्यक्षमता (Performance Appraisal) की समीक्षाः–**

सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा सूचित किया गया कि नियम–1995 के नियम–4(2) के आलोक में जिला पदाधिकारी एवं अभियोजन महानिदेशक द्वारा एक कैलेण्डर वर्ष में जनवरी एवं जुलाई माह में विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा कर राज्य सरकार को रिर्पोट प्रस्तृत करनी है लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा महानिदेशक अभियोजन से पृच्छा की गई कि क्या इस संबंध में कोई बैठक हुई है? उन्होंने बताया कि दिनांक–19.10.2012 को इस संबंध में बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें 19 जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है लेकिन विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा नहीं की जा सकी है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि इस संबंध में विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों की प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में जनवरी एवं जुलाई माह में जिला पदाधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाय एवं जिन विशेष लोक अभियोजकों का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, उनके स्थान पर संवेदनशील, कर्मठ एवं योग्य अधिवक्ता को इस अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज काण्डों में पैरवी करने के लिए जिम्मेवारी सौंपी जाय। इस संबंध में मुख्य सचिव के स्तर से सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिये जाय। उन्होंने

यह भी निदेश दिया कि अभियोजन महानिदेशक इस संबंध में राज्यस्तर पर समेकित प्रतिवेदन तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

(अनुपालनः– गृह विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/महानिदेशक, अभियोजन)

कार्यावली बिन्दु संख्याः–5

5– नियम–4(1) के अनुसार सचिव, विधि विभाग द्वारा विशेष लोक अभियोजकों के लिए जिलावार वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नवीन पैनल तैयार करने एवं नियम–4(6) के अनुसार उनके उच्चतर दर पर फीस का निर्धारण/भुगतान की समीक्षाः–

नियम–4(6) के अनुसार जिलास्तर पर विशेष लोक अभियोजकों को उच्चत्तर दर पर फीस का निर्धारन/भुगतान के संबंध में सचिव, विधि विभाग द्वारा बताया गया कि ज्ञाप सं0–484 दिनांक–01.10.2012 द्वारा लोक अभियोजकों की फीस में वृद्धि की गयी है जो अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज काण्डों के संचालन के लिए नियुक्त विशेष अभियोजकों को भी अनुमान्य है।

(अनुपालनः– सभी जिला पदाधिकारी)

इस अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामलों में उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष मजबूती से एवं प्रभावकारी ढ़ंग से रखने के लिए जिस तरह जिलास्तर पर विशेष लोक अभियोजकों को जिम्मेवारी सौपी गयी है उसी तरह अपर महाधिवक्ता/स्थायी समूपदेशक/विशेष लोक अभियोजकों को उच्च न्यायालय में लंबित वादों में पैरवी करने की जिम्मेवारी सौपी जाय। इस संबंध में दिनांक–17.09.11 को सम्पन्न बैठक में विधि विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था। विधि विभाग ने पत्रांक–7436 दिनांक–08.10.12 को महाधिवक्ता को पत्र द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है लेकिन इस संबंध में की गयी कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि इस अधिनियम के तहत् दर्ज मामलों में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए उच्च न्यायालय के स्तर पर भी अपर महाधिवक्ता/स्थायी समूपदेशक/विशेष लोक अभियोजकों को जिम्मेवारी सौपी जाय।

(अनुपालनः– विधि विभाग)

अध्यक्ष महोदय ने पृच्छा की कि गवाहों को देय दैनिक भत्ता/भाड़ा इत्यादि का निर्धारण किया गया है या नहीं। विभागीय सचिव ने बताया कि इस संबंध में विभाग द्वारा पत्रांक–2033 दिनांक–19.09.12 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को मार्गदर्शन दिया गया है और इस हेतु आवश्यक राशि जिला कल्याण पदाधिकारी को आवंटित की जाती है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि गवाहों को दैनिक भत्ता एवं भाड़ा इत्यादि का भुगतान के लिए जिलास्तर पर कारगर व्यवस्था की जाय।

**(अनुपालनः– सभी जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक/अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग)**

**6– <u>नियम–10 के अन्तर्गत "विशेष पदाधिकारी" के कार्यो की समीक्षा</u>ः–**

संयोजक–सह–सचिव ने सूचित किया कि नियम–10 के अनुसार प्रत्येक जिला में अपर जिला दण्डाधिकारी के स्तर के पदाधिकारी को "विशेष पदाधिकारी" के रूप में नियुक्त किया जाना है, जो मुख्य रूप से अत्याचार पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत एवं अन्य सुविधा प्रदान करने, अत्याचार को पुनः होने से रोकने या उससे बचाने के उपाय करने, लक्षित वर्ग में अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाने इत्यादि के लिए जिम्मेवार होगा। उन्होंने सूचित किया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–40 दिनांक–02.01.2007 द्वारा जिलास्तर पर अपर समाहर्त्ता के स्तर के पदाधिकारी को "विशेष पदाधिकारी" के रूप में प्राधिकृत किया गया है लेकिन पाँच साल से अधिक समय बितने के बावजूद विशेष पदाधिकारियों द्वारा उनसे अपेक्षित कार्य किये जाने के संबंध में कोई सूचना अप्राप्त है।

पिछली बैठक में समीक्षोपरांत यह निदेश दिया गया था कि जिलास्तर पर विशेष पदाधिकारियों को कार्यशील बनाया जाय तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों की सूचना प्राप्त की जाय। सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पत्रांक–949 दिनांक–25.04.2012 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को उनके जिले के विशेष पदाधिकारी को अधिनियम के तहत् सौपी गयी जिम्मेवारियों का उनके द्वारा निर्वहन किया जा रहा है या नहीं इसकी प्रत्येक माह समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है

लेकिन किसी जिला से विशेष पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षोपरांत कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि मुख्य सचिव के स्तर से सभी जिला पदाधिकारियों को विशेष पदाधिकारी के कार्यों की समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जाय।

**(अनुपालनः–सभी जिला पदाधिकारी/अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/मुख्य सचिव)**

7– **पीड़ित व्यक्तियों को दी गयी राहत और पुर्नवास सुविधाएं तथा उससे संबद्ध अन्य मामलों की समीक्षा** :–

संयोजक–सह–सचिव द्वारा बताया गया कि इस वर्ष 50.00 लाख रू0 की राशि से 454 पीड़ितों को लाभान्वित किया गया है। साथ ही 500.00 लाख रू0 की राशि की स्वीकृति निकट भविष्य में दी जानी है।

उन्होंने बताया कि जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा से प्रतीत होता है कि कई गंभीर मामलों में अंतिम आरोप पत्र समर्पित नहीं किये जाने के कारण राहत राशि के भुगतान में कठिनाई होती है। साथ ही कई मामलों में थानों द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत् प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के कारण भी राहत राशि उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाता है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग) से इस संबंध में पृच्छा की गयी। उन्होंने बताया कि सभी पुलिस अधीक्षकों को अंतिम आरोप पत्र समर्पित करने में शीघ्रता बरतने एवं आवश्यकतानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत् प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिये गये है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि पीड़ितों को त्वरित गति से राहत राशि एवं पुर्नवास की सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

**(अनुपालनः– सभी जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक (क0व) /अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)**

8– <u>जिला स्तर पर गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति के कार्यकलाप की समीक्षाः–</u>

संयोजक–सह–सचिव ने बताया कि नियम–17 के आलोक में जिलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक वार आयोजित की जानी है। प्रायः सभी जिलों में रोस्टर के अनुसार बैठक आयोजित की जाती है लेकिन बैठक की कार्यवाही कई जिलों से अप्राप्त है। उन्होंनें बताया कि जिलास्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का रोस्टर निर्धारित किया गया है। तदनुसार पाँच जिलों में–04, आठ जिलों में–03 एवं सोलह जिलों में–02–02 बैठक आयोजित की गयी है। जमुई, गया, अरवल, अररिया, बाँका, किशनगंज, सिवान एवं औरंगाबाद में मात्र एक बैठक आयोजित की गयी है।

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि मुख्य सचिव के स्तर से सभी जिला पदाधिकारियों को जिलास्तरीय सर्तकर्ता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक निर्धारित समय पर करने एवं बैठक की कार्यवाही विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाय। उन्होंने यह भी निदेश दिया कि बैठक का रोस्टर निर्धारित करते समय अगर कोई निश्चित तिथि निर्धारित की जाती है और उस तिथि को बैठक नहीं हो पाती है तो बैठक के टलने के संभावना रहती है। अतः रोस्टर निर्धारित करते समय पखवाड़ा निर्धारित किया जाय। तदनुरसार जिन जिलों में अक्टूबर–दिसम्बर, 2012 की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी है, उन जिलों में यह बैठक दिनांक–16–30 नवम्बर, 2012 के बीच, तथा जनवरी–मार्च, 2013 के त्रैमास की बैठक, 01–15 फरवरी, 2013 के बीच की जाय।

**(अनुपालन–सभी जिला पदाधिकारी/अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/मुख्य सचिव)**

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि पुलिस प्रशासन जिला में पदस्थापित थाना प्रभारी/ पुलिस उपाधीक्षक/ पुलिस निरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक इत्यादि को इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागु करने के लिए विपार्ड (BIPARD) के माध्यम से प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करें ताकि सम्बन्धित आरक्षी पदाधिकारियों को अधिनियम/नियम के प्रावधानों की जानकारी दी जा सके तथा उन्हें संवेदनशील बनाया जा सके ।

पुलिस महानिरीक्षक (क0व0) द्वारा बताया गया कि क्षेत्रीय स्तर पर तीन जोन में सचिव, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग के परामर्श से क्षेत्रीय बैठक माह नवम्बर–दिसम्बर में आयोजित की जानी है।

(अनुपालन– पुलिस महानिदेशक/विपार्ड)

9– <u>अत्याचार प्रभावित घोषित जिलों में घटित अपराधों की समीक्षा कर अत्याचार प्रभावित जिलों का पुनः निर्धारण, अगर आवश्यक हो:–</u>

संयोजक–सह–सचिव ने बताया कि गृह विभाग द्वारा राज्य के 38 जिलों में से 33 (अरवल, कटिहार, अररिया, जमुई और खगड़िया को छोड़कर) जिलों को अत्याचार प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। लम्बि अवधि बीत जाने के कारण इन जिलों में अत्याचार की घटनाओं की समीक्षा कर "अत्याचार प्रभावित क्षेत्र" के पुर्ननिर्धारण की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि गृह विभाग, अत्याचार प्रभावित क्षेत्रों में घटित अत्याचार की घटनाओं की समीक्षा कर अत्याचार प्रभावित जिलों की संख्या बढ़ाने या घटाने तथा अत्याचार न हो हेतु प्रभावी निवारात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया की प्रत्येक दो वर्ष पर "अत्याचार प्रभावित क्षेत्र" की समीक्षा की जाय।

(अनुपालन–गृह विभाग)

10– <u>योजना एवं विकास विभाग द्वारा तैयार किया गया **Power Point presentation** की प्रस्तुतीकरण</u> :–

अनु0 जाति उप योजना (SCSP)/अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) के तहत् कर्णांकित राशि के लिए योजना एवं विकास विभाग, विभिन्न विभागों द्वारा अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के कल्याणार्थ योजनाओं के लिए कर्णांकित राशि एवं व्यय से संबंधी प्रगति की विभागवार Power Point Presentation के संबध में विमर्श हुआ कि यह अधिनियम से संबंधित नही है। अतः भविष्य में इसे बैठक की कार्यावली में शामिल करने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।